

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा
कौशल्या बनाम राज0 सरकार

मु0नं0-

54 / 2023

किरम मुकदमा- प्रा0पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट
पीठासीन अधिकारी- डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

09.02.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 629 एवं 630 भूमि वाके रामा उदलवाडा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 93 में भौरया पुत्र दासी हि0 1/2 मूलचंद पुत्र दासी हि0 1/2 जातियान ब्राहमण के अशुद्ध नाम एवं अशुद्ध जाति ब्राहमण के नाम दर्ज एवं अंकित चली आ रही है। यह है कि खसरा नम्बर 629 रकबा 0.6800 है0 के साविक खसरा नं0 269 मिन रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 630 रकबा 0.1500 है0 में साविक आराजी खसरा नम्बर 269 मिन जिसे शामिल आराजी खसरा नम्बर 629 में किया गया है। यह है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 269 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2038से 2041 में प्रार्थीगण के पूर्वज भौरया, मूलचंद पि0 घासी कौम कुम्हार साकिन टोरडा के नाम दर्ज रही है। सम्वत् 2043 से 2046 की खतोनी में भौरया मूलचंद पि0 घासी कौम कुम्हार की जगह कौम ब्राहमण राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हो गया। तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाता संख्या 93 में भौरया पुत्र दासी हि0 1/2 एवं मूलचंद पुत्र दासी हि0 1/2 जाति ब्राह्मण अंकित किया गया इसलिए प्रार्थीगण मूलचंद पुत्र दासी हि0 1/2 जाति ब्राह्मण के स्थान पर मूलचंद पुत्र घासी हि0 1/2 जाति कुम्हार शुद्ध रूप से दर्ज करवाने के अधिकारी है। बहस प्रार्थी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात मृत्यू प्रमाण पत्र मूलचंद पुत्र घासी जाति कुम्हार, साविक जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के पिता मूलचंद पुत्र घासी का नाम साविक राजस्व रिकॉर्ड में मूलचंद पुत्र घासी जाति कुम्हार दर्ज रहा है तथा सभी दस्तावेजात में भी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मूलचंद पुत्र घासी जाति कुम्हार ही दर्ज है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार कर वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 629 एवं 630 भूमि वाके रामा उदलवाडा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज मूलचंद पुत्र दासी कौम ब्राहमण साकिन टोरडा के स्थान पर मूलचंद पुत्र घासी कौम कुम्हार साकिन टोरडा दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल दसमद कर। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय पर द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फंसन शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)